न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 61/22

GCMS NO 2022/98

1. रामधन पुत्र शंकर जाति कल्हार निवासी कल्हारनका पुरा तन जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली (मृतक)
   1/1. शकुन्तला बेवा रामधन
   1/2. राजेश
   1/3. हरिओम पिसरान रामधन सभी जातियान कल्हार निवासी कल्हारनका पुरा (खेडा) तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
   1/4. सरोज पुत्र रामधन पत्नि महेश जाति कल्हार निवासी सराय मोहल्ला नई दिल्ली
   1/5. मनोज पुत्री रामधन पत्नि दीपक जाति कल्हार निवासी चांदी मेडिकल डैम्परोड हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. गिल्ला उर्फ सोहनलाल पुत्र शंकर जाति कल्हार निवासी कल्हारनकापुरा तन जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. अंगूरी पुत्री मिश्रीलाल पत्नि मूलचंद जाति कल्हार निवासी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर
2. उगन्ती पुत्री मिश्रीलाल पत्नि जगदीश जाति कल्हार निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. संतो पुत्री मिश्रीलाल पत्नि बिरदीचंद जाति कल्हार निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 45/87 निर्णय व डिक्री दिनांक 6.8.88 व 29.7.89 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी

दिनांक 06.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 6.8.88 व 29.7.89 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/मिश्रीलाल पुत्र सुक्काराम ने दावा इस्तकरार हक तथा डिवीजन आफ होल्डिग इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजीयात खसरा न0 120 रकबा 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बीघा 2 विस्वा, 167 रकबा 8 विस्वा, 176 रकबा 14 विस्वा, 168 रकबा 8 विस्वा, 179 रकबा 1 बीघा , 193 रकबा 10 विस्वा , 196 रकबा 10 विस्वा, 206 रकबा 8 विस्वा वाके ग्राम कल्हारका पुरा स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 को विरासत मे प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात मे वादी का 1/2 भाग एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/2 भाग है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच तनाजा होने के कारण शामिल मे काश्त करना संभव नही है अतः उक्त आराजीयात का तकासमा कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आराजीयात का वादी का 1/2 भाग एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/2 का अलग अलग भाग घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजात किये जाकर पृथक से खातेदारी दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। उक्त दावा दिनांक 15.1.80 व 23.12.82 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हुआ है तथा दोनो ही दिनांको मे उक्त दावा खारिज होने के उपरान्त पुनःनम्बर पर लिया गया है लेकिन उक्त दावे का पुनः नम्बर पर लेने हेतु अपीलांट को मुताबिक कानून दावा हाजा हो रेस्टोर करने के संबंध मे कोई नोटिस न्यायालय से जारी नही हुए है तथा दिनांक 23.12.82 को उक्त दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज होने के उपरान्त उसे रेस्टोर करने के अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नही हुए है और उक्त स्थिति मे उक्त दावा खिलाफ कानून अपीलांट/प्रतिवादीगण को सुने बिना ही विधि विरूद्व तरीके से पुनःरेस्टोर किया जाकर एक तरफा मे साक्ष्य वादी लेकर फैसल किया गया है। जबकि कानूनन दावा के रेस्टोर किये जाने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादीगण को कानूनी प्रकिया के तहत नोटिस जारी होने चाहिए थे तथा उक्त दावे के दर्ज होने के उपरान्त भी अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नही किये गये, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया को पूर्णरूपेण इग्नोर कर उक्त दावा खिलाफ कानून एक तरफा मे डिक्री किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। दावा हाजा मे रेस्पो0 न0 1 ता 3 व उनकी मां गुलबाई द्वारा विवादित भूमि को अपीलांटस/प्रतिवादीगण व मिश्रीलाल की संयुक्त काश्तकार व शामलाती बताकर आराजीयात मुतदाविया मे 1/2 रेस्पो0 न0 1 ता 3 के पिता व 4 के पति मिश्रीलाल का तथा 1/2 हिस्सा अपीलांटस/प्रतिवादीगण का बताया है लेकिन इस सबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से आराजीयात मुतदाविया की अपीलांटस/प्रतिवादीगण व रेस्पो0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

संख्या 1 ता 3 व उनकी मां गुलबाई के पति मिश्रीलाल के नाम से संयुक्त खातेदारी की कोई जमाबंदी पेश नही की। रेस्पो0 द्वारा जो जमाबंदी आराजीयात मुतदाविया की पेश की है वह अपीलांटस/प्रतिवादीगण की एक मात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। इस प्रकार रेस्पो0 न0 1 ता 3 के द्वारा सम्पूर्ण दावे मे आराजीयात मुतदाविया के 1/2 हिस्से के खातेदार होने की कोई जमाबंदी पेश नही की है और ना ही आराजीयात मुतदाविया के कभी अपीलांट/प्रतिवादीगण व रेस्पो0 1 ता 3 या उनका पिता संयुक्त खातेदार रहा हो ऐसा भी कोई दस्तावेज उनके द्वारा दावे मे पेश नही किया गया है इस प्रकार रेस्पो0 1 ता 3 का आराजीयात का कोटीनेन्ट होने का बिन्दु किसी भी दृष्टि से साबित नही था मगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी सबूत के व बिना आराजीयात के रिकार्ड को देखे उक्त भूमि मे रेस्पो0 न0 1 ता 3 को विधि विरूद्व व मनमाने तरीके से 1/2 हिस्से का खातेदार मानकर दावा डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। जो जैर अपील निरस्त योग्य है। मिश्रीलाल जो रेस्पो0 1 ता 3 का पिता रहा है उसका आराजीयात मुतदाविया से कभी कोई वास्ता किसी प्रकार का नही रहा और ना ही उसका भूमि पर कोई कब्जा रहा, इसके अतिरिक्त रेस्पो0 न0 1 ता 3 की शादी दावा दायरी से वर्षो पूर्व हो चुकी थी और वह अपने अपने सुसराल मे निवास कर रही थी। उनका आराजीयात पर किसी प्रकार का कब्जा नही रहा है। जबकि अपीलांटगण ग्राम कल्हारका पुरा मे निवास कर आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट के पिता शंकर द्वारा मिश्रीलाल की स्थिति कमजोर होने के कारण मिश्रीलाल को भूमि काश्त करने हेतु बटाई पर दी गई थी। इसके अलावा मिश्रीलाल का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता नही रहा है। वादग्रस्त आराजीयात पूर्व से अपीलांट के पिता शंकर के नाम रही है तथा शंकर की मृतयु के उपरान्त उक्त आराजीयात रामधन व गिल्ला उर्फ सोहनलाल अर्थात अपीलांटगण/प्रतिवादीगण की खातेदारी मे रही है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है इसलिए वादी का का दावा पोषनीय ही नही था इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इरोनियस स्पष्ट साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से कब्जे के बिन्दु को इग्नोर करते हुए खिलाफ कानून निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से आराजीयात मे 1/2 हिस्से के बाबत घोषणा के सबंध मे अलग से कोई दादरसी नही मांगी है और ना ही घोषणा की दादरसी हेतु कोई न्याय शुल्क पेश किया है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अंदाज किया जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 न0 1 ता 3 या उनके पिता मिश्रीलाल द्वारा दावा हाजा मे घोषणा की कोई दादरसी नही मांगी और ना ही उसका न्याय शुल्क अदा किया तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 व 3 जमाबंदी सवंत 2029 से 2032 व 2033 से 2036 मिश्रीलाल या रेस्पो0 न0 1 ता 3 विवादित आरजीयात के कोई संयुक्त खातेदार नही थे ऐसी सूरत मे भी खातेदारी के अभाव मे कानूनन भूमि का विभाजन नही हो सकता, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओ को इग्नोर कर तथा अपने निर्णय मे उन्हे बिना डिसकस किये बिधी विरूद्व रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जो जैर अपील निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बरान से

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सेटलमेंट द्वारा जो नवीन खसरा नम्बर कायम किये है उसमे भी अपीलांटस के पिता शंकर की मृत्यु के उपरान्त उसकी खातेदारी सेटलमेंट द्वारा अपीलांटगण के नाम दर्ज की गई है क्योकि बरवक्त सेटलमेंट अपीलांटस ही उक्त भूमि पर काबिज व दखील थे तथा वर्तमान मे भी उक्त आराजीयात पर अपीलांटस ही काबिज एवं दखील है तथा रेस्पो0 अपने परिवार के साथ अपने ससुराल मे निवास करती है तथा मौके पर उनका कब्जा नही है। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 न0 1 ता 3 की और से तीन गवाहो के बयान कराये है जिसमे पी डब्लू 1 स्वयं वादीगण/रेसपो0 न0 1 ता 3 की मां गुलबाई तथा पी डब्लू 2 जगदीश पुत्र बद्रीप्रसाद जो कि रेस्पो0 न0 2 का पति है तथा पी डब्लू 3 जयलाल जो कि पी डब्लू 1 का व रेस्पो0 न0 1 ता 3 का मिलने वाला है। सभी ने विवादित आराजीयात को मिश्रीलाल व शंकर के बुजुर्ग सुक्का से विरासत मे प्राप्त करना बताया है जबकि विवादित आराजीयात के सबंध मे कोई भी दस्तावेज सुक्का की खातेदारी का कोई पेश नही किया है ऐसी सूरत मे विवादित आराजीयात मिश्रीलाल व शंकर को सुक्का से प्राप्त हुई हो किसी भी प्रकार से साबित नही है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज कर गलत व खिलाफ कानून विवादित आराजीयात को सुक्का की भूमि मानकर उसमे मिश्रीलाल अर्थात रेस्पो0 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा मानकर निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून मनमर्जी तरीके से पारित किये है जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि विवादित आराजीयात कभी भी सुक्का की खातेदारी मे नही रही, वरन विवादित आराजीयात प्रारंभ से ही शंकर की खातेदारी मे रही है, जिसे मिश्रीलाल का कभी कोई वास्ता नही रहा है और ना ही मिश्रीलाल शंकर का कोई परिवारजन था। ऐसी स्थिति मे भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के गलत निर्णय का फायदा उठाकर उसके आधार पर अपीलांटस की खातेदारी की भूमि जिसके सेटलमेंट द्वारा नवीन खसरा नम्बर कायम किये है मे से 1/2 भाग की खातेदारी अपने व अपनी मां गुलबाई के नाम कराकर उसके नवीन खसरा न0 कायम करा लिये जबकि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कोई हाल खसरा नम्बरान अर्थात उक्त नम्बरान के सबंध मे नही था और ना ही इस सबंध मे कोई डिक्री संशोधित कराई गई मगर रेस्पो0 न0 1 ता 3 व उनकी मां गुलवाई ने उक्त भूमि को विधि विरूद्व तरीके से राजस्व रिकार्ड मे बिना किसी आदेश के अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा लिया । इस प्रकार रेस्पो0 न0 1 ता 3 व उनकी मां के नाम उक्त खसरा नम्बरान की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी की खातेदारी मे किये गये इन्द्राज विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। क्योकि उक्त खसरा नम्बरान के सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय व डिक्री पारित नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री एकतरफा मे पारित हुआ है जिसकी कोई जानकारी अपीलांटगण को नही हुई। अपीलांटगण विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 10.7.22 को वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 1 ता 3 आये तथा अपीलांटस से कहा कि उक्त जमीन हमारी खातेदारी की है हमने इस भूमि के आधे हिस्से की खातेदारी हमारे नाम करा ली है

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इस जमीन से तुम्हे जबरन बेदखल करेगे तथा ज्यादा कुछ किया जो भूमि को विक्रय कर देगे। जिस पर अपीलांटगण द्वारा निर्णय व डिक्री की जानकारी के सबंध मे पुराना रिकार्ड तलाश करने तथा अधिवक्ता से सलाह व सहयोग लेने मे काफी समय लगने के उपरान्त उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 4.8.22 को हुई जिसके उपरान्त निर्णय व डिक्री की नकल जिला अभिलेखागार करौली से दिनांक 5.8.22 को प्राप्त होने पर अपील इल्म की अवधि से अंदर मियाद पेश की गई है तथा बरफाये हुज्जत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नही है जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व सुक्का की खातेदारी की आराजीयात रही है। जो राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। जिसमे रेस्पो0 के पिता वादी मिश्रीलाल का 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार रहा है। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से ही बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। भूमि संयुक्त खातेदारी की नही होने की दशा मे बंटवारे का वाद कानूनन पोषनीय नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को संयुक्त खातेदारी की आराजीयात माना जाकर ही विधिवत रूप से बंटवारा किया गया है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि भूमि मुतदाविया पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही है जबकि मुताबिक हिस्सा रेस्पो0 का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 तथा 2030 से 2033 से होती है। इस प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि दावा वादी दो बार अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज होने पर उसे पुनःरेस्टोर करने से पूर्व अपीलांटगण को नोटिस जारी किये बिना ही दावा पुनः नम्बर पर लिया गया है, इस सबंध मे स्पष्ट है दावे को पुनःनम्बर लेने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस जारी किये गये है जिनमे प्रतिवादी संख्या 1 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने पर दिनांक 29.4.80 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है इसी प्रकार प्रतिवादी न0 2 व 3 भी बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व दिनांक 24.11.80 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण की और से श्री लखनलाल गोयल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है तथा दिनांक 12.5.82 को प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये है। इससे स्पष्ट है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से कानून की पालना करते हुए कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है जिसे बयान पी डब्लू 3 जयलाल ने माना है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी को बंटवारा कराने का अधिकार हासिल था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील 35 वर्षो के उपरान्त पेश की गई है जो मियाद बाहर है तथा अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र मे जो बिलम्ब के कारण उल्लेख किये है उनके आधार पर बिलम्ब की अवधि को कण्डोन किया जाना न्यायोचित नही है, क्योकि अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद की अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को भलीभॉति जानकारी रही है इसका प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत वकालतनामा श्री लखनलाल गोयल से होती है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को होते हुए भी अपीलांटगण द्वारा अपील काफी बिलम्ब से पेश की गई है। बिलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के सबंध मे कोई विधिक कारण का उल्लेख भी मियाद प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण द्वारा नही किया है जबकि कानूनन मियाद की अवधि के विलम्ब के सबंध मे एक एक दिवस की बिलम्ब की अवधि का कारण स्पष्ट उल्लेख करना होता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को पूर्व से रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.8.88 व फाईनल डिक्री दिनांक 29.7.89 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात से मिश्रीलाल वादी का किसी प्रकार का कोई सबंध नही रहा है। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 मे मिश्रीलाल पुत्र सुक्का कलाड हिस्सेदार का अंकन है। इसी प्रकार बयान जमना लाल पुत्र घीस्या द्वारा मिश्रीलाल को सुक्का का पुत्र माना है तथा वादग्रस्त आराजीयात मिश्रीलाल व शंकर को विरासत मे मिलना माना है तथा शंकर , मिश्रीलाल मे शंकर बडा था दोनो शाई शामलात मे रहते थे शंकर बडा था सुक्का के मरने पर बडे लडके होने के नाते भूमि शंकर के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। इस प्रकार बयान से भी भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि साबित होती है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि सहखातेदारी की होने पर ही बटवारे का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की आराजीयात नही थी तो अपीलांट/प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय मे इसके बाबत उज्रदारी करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय मे श्री लखनलाल गोयल अधिवक्ता उपस्थित रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दिनांक 6.8.88 को प्राथमिक डिक्री किया गया है जिसके विरूद्व भी अपीलांटगण/प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की है। इससे यह तथ्य भी स्पष्ट कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं फाईनल डिक्री की जानकारी अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को शुरू से ही रही है फिर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

35 वर्षो के पश्चात पेश की गई है तथा बिलम्ब के सबंध मे धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे किसी विधिक कारण का उल्लेख नही किया गया है जबकि बिलम्ब की एक एक दिवस की अवधि के सबंध मे स्पष्ट एवं विधिक कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार इतने लम्बे समय की अवधि को कण्डोन किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के प्रकरण संख्या 45/87 मे पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.8.88 व फाईनल डिक्री दिनांक 29.7.89 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस

1. रामधन पुत्र शंकर जाति कल्हार निवासी कल्हारनका पुरा तन जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली (मृतक)
   1/1. शकुन्तला बेवा रामधन
   1/2. राजेश
   1/3. हरिओम पिसरान रामधन सभी जातियान कल्हार निवासी कल्हारनका पुरा (खेडा) तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
   1/4. सरोज पुत्र रामधन पत्नि महेश जाति कल्हार निवासी सराय मोहल्ला नई दिल्ली
   1/5. मनोज पुत्री रामधन पत्नि दीपक जाति कल्हार निवासी चांदी मेडिकल डैम्परोड हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. गिल्ला उर्फ सोहनलाल पुत्र शंकर जाति कल्हार निवासी कल्हान का पुरा तन जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. मंजूरी पुत्री मिश्रीलाल पत्नि मूलचंद जाति कल्हार निवासी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर
   उगन्ती पुत्री मिश्रीलाल पत्नि जगदीश जाति कल्हार निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. संतो पुत्री मिश्रीलाल पत्नि बिरदीचंद जाति कल्हार निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

अपील संख्या 61/2022 निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन दिनांक 6.8.88 व 29.7.89 दावा इस्तकरारहक व डिवीजन आफ होल्डिग। यह अपील संख्या 61/22 व तारीख 06.04.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री पी.एल.गोयल अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के प्रकरण संख्या 45/87 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.8.88 व फाईनल डिक्री दिनांक 29.7.89 की पुष्टि की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06.04.2026 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	----	----	स्टाम्प वकालतनामा	----	----
स्टाम्प वकालतनामा	----	----	स्टाम्प अर्जी	----	----
इजराय हुक्मनामा	----	----	इजराय हुक्मनामा	----	----
वकील फीस बाबत	----	----	महन्ताना वकील	----	----